RMCAAP-2020
Centre for Electronic Governance
(Established by Government of Rajasthan)
Jaipur- 302004 Phone: 0141-2702344
Email: cegrmcaap2020@gmail.com Website: http://rmcaap2020.com

Guidelines for Admission under Special Round in MCA 1st year (At Institute Level)

राज्य स्तरीय कमेटी के निर्णयानुसार केन्द्रियकृत प्रवेश प्रक्रिया (ऑनलाईन कॉउन्सलिंग) के पश्चात् रिक्त रहे स्थानों पर विशेष अंतिम चरण के माध्यम से संस्थान स्तर पर प्रवेश हेतु एमसीए पाठ्यक्रम संचालित करने वाले शिक्षण संस्थानों द्वारा अपनायी जाने वाली सीधी प्रवेश प्रकिया में पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने हेतु संयोजक, आरएमकैप–2020 द्वारा निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये गये है।

1. विशेष अंतिम चरण के माध्यम से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को पूर्व में आरएमकैप–2020 द्वारा आवंटित सीट पर प्रवेश को निरस्त कराना अनिवार्य है।
2. अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए प्रारम्भ/अंतिम तिथि तथा प्रवेश सम्बन्धित कार्यक्रम की सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें। विशेष अतिंम चरण प्रवेश समय सारणी निम्नानुसार है:–

S.N	Activity	Date	Time
1	Last date for filling application cum registration form	15-01-2021	Till 12.00 Noon
2	Merit and Allotment of Seats	16-01-2021	5.00 PM
3	Online submission of reported candidate list by Institutes	16-01-2021	Till 9.00 PM
4	Final Reporting by institute at RMCAAP-2020 Office (All Rounds of Admissions including Counselling, special rounds and management quota)	21-01-2021	Till 5.00 PM

3. प्राप्त आवेदनों की सूची एवं मैरिट अनुकम में तैयार योग्य अभ्यार्थियों की सूची संस्थान की वेबसाईट एवं संस्थान के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करवानी होगी।
4. विशेष अतिंम चरण में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता, प्रवेश हेतु प्राथमिकता एवं मेरिट का निर्धारण केन्द्रियकृत प्रवेश प्रकिया हेतु जारी Information Booklet जो कि वेबसाईट पर भी उपलब्ध है के अनुसार ही प्रवेश किया जाना सुनिश्चित करें। मेरिट का निर्धारण निम्नलिखित प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें।

S.N.	Basis	Priority
1	Eligible candidates having valid NIMCET-2020 score and having Rajasthan state domicile.	1st
2	Eligible candidates having valid NIMCET-2020 score and do not having Rajasthan state domicile.	2nd
3	Eligible candidates that have passed in graduation and having Rajasthan state domicile.	3rd
4	Eligible candidates that have passed in graduation and do not have Rajasthan state domicile.	4th

मेरिट निर्धारण हेतु उपरोक्त सारणी में **कम सं. 3** में आवश्यक निर्धारित योग्यता में समान प्रतिशत होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण निम्नलिखित वरीयता के आधार पर किया जावे:–

1. अभ्यार्थी के 12वीं के प्रतिशत (अधिक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता)
2. जन्मतिथि (अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता)
3. आवेदन तिथि (पहले आवेदन करने वाले को प्राथमिकता)

मेरिट निर्धारण हेतु उपरोक्त सारणी में **क्रम सं. 4** में आवश्यक निर्धारित योग्यता में समान प्रतिशत होने की स्थिति में भी उपरोक्तानुसार ही किया जाना सुनिश्चित करें।

5. विशेष अंतिम चरण पंजीयन मय आवेदन शुल्क प्रति विद्यार्थी 1200/– रुपये के हिसाब से कुल आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों से प्राप्त कुल राशि ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित अतिंम तिथि 16.01.2021 तक निम्न विवरणानुसार बैंक खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
   Bank Name:IDBI Bank Ltd
   Bank Branch: Prithviraj Road C-Scheme Jaipur
   Bank Account No.: 0013104000448376
   IFSC Code.:IBKL0000013
   MICR Code: 302259002
   Account Holder's Name: Convenor RMCAAP-2020
6. संस्थानों द्वारा विशेष अंतिम चरण के प्रवेश स्थानों पर दिनांक 16.01.2021 तक प्रवेश का कार्य आवश्यक रूप से पूरा कर लिया जावे।
7. संस्थानों द्वारा प्राप्त आवेदनों की Applied एवं Admitted की सूची दिनांक 21.01.2021 निर्धारित प्रारूप में आरएमकैप–2020 कार्यालय में ई–मेल के माध्यम से सॉफट कॉपी में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
8. यदि किसी संस्था द्वारा वांछित योग्यता, प्राथमिकता एवं मैरिट के सिद्धान्त का उल्लंघन करते हुए प्रवेश की कार्यवाही की जाती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उस संस्था की मान्यता/सम्बद्धता रद्द करने व शास्ती लगाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
9. TFWS (Tuition fees waiver scheme) का लाभ विशेष अन्तिम चरण के अभ्यर्थियों को देय नहीं है। यदि किसी संस्थान के ब्रांच/कोर्स में AICTE द्वारा TFWS के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्वीकृत प्रवेश (Approved Intake) के कम से कम 30 प्रतिशत सीट भरने की बाध्यता इस विशेष अन्तिम चरण प्रवेश पश्चात् पूर्ण होती है तो भी उक्त स्कीम का लाभ आरएमकैप–2020 द्वारा पूर्व में काउन्सलिंग द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार देय होगा। इस हेतु संस्थान को चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार फीस वापस करनी होगी।
10. EWS कैटेगरी की सीटों पर प्रवेश उन्हीं अभयर्थियों को दिया जावेगा जो कि EWS कैटेगरी में आते हों एवं उनके पास वैद्य EWS सर्टिफिकेट हो अन्यथा इस श्रेणी की सीटें रिक्त रहेंगी।

Sandeep Kumar

(डॉ.सदीप कुमार)
संयोजक, आरएमकैप –2020